

सं.-19015/1/2015-पपा./केंहिप्रसं./4388-4487 त्र

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

email:adptracharchti-dol@nic.in

2-ए, पृथ्वीराज रोड,

नई दिल्ली. 110011.

दिनांक- 17.1.15./ 28.15... ..

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)

निदेशक/संयुक्त निदेशक /उप निदेशक /प्रशासनिक अधिकारी

सभी मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगम, निकाय, उद्यम,

संगठन तथा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।

विषय - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अधीन पत्राचार द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का 26 वाँ सत्र(जुलाई 2015 से मई 2016)

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अधीन पत्राचार द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नया सत्र 1 जुलाई, 2015 से प्रारंभ होगा । प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षार्थियों की योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाए -

1.	2.	3.	4.	5.
प्रशिक्षण सत्र	उद्देश्य	अवधि और आवेदन की अंतिम तिथि	पात्रता आदि	प्रोत्साहन
26वाँ सत्र (जुलाई 2015 से मई 2016)	ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों, निगमों, निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	एक वर्ष 30 जून, 2015.	जो अधिकारी कर्मचारी गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध/ प्रवीण/ प्राज्ञ कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए पात्र हैं किंतु जो अपनी तैनाती के स्थानों पर हिंदी प्रशिक्षण की सुविधाओं के उपलब्ध न होने या किन्हीं अन्य कारणों से अब तक प्रशिक्षित नहीं किए जा सके हैं । पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट-1 देखें ।	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के दिनांक 15.5.1991 के का.जा.सं.19015/4/91-केंहिप्रसं.12256 के अनुसार पत्राचार के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह माना जाएगा कि उन्होंने यह परीक्षा निजी प्रयत्नों से उत्तीर्ण की है । अतः निजी प्रयत्नों से परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले नकद पुरस्कार उन्हें का.जा.सं.21034/66/2010-रा.भा.(प्रशि.) दिनांक 29.7.2011 के अनुसार देय होंगे। इन पुरस्कारों पर आने वाला व्यय संबंधित कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

2. वित्तीय प्रोत्साहन

परीक्षाएँ पास करने पर नकद पुरस्कार

प्राप्तांक प्रतिशत	55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत
प्रबोध	रु. 400 /-	रु. 800 /-	रु.1600 /-
प्रवीण	रु. 600 /-	रु. 1200 /-	रु. 1800 /-
प्राज्ञ	रु.800 /-	रु. 1600 /-	रु. 2400 /-

निजी प्रयत्नों से परीक्षाएँ पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार

प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
रु. 1600/-	रु. 1500/-	रु. 2400/-

टिप्पणी-

जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उनको एकमुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी ।

वैयक्तिक वेतन-

केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी भाषा की प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षा में से जो भी परीक्षा संबंधित प्रशिक्षार्थी के लिए अंतिम परीक्षा निर्धारित की गई है उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है ।

पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए केवल निर्धारित प्रपत्र में हिंदी अथवा अंग्रेजी में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा । पात्रता सुनिश्चित करने के बाद पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रवेश हेतु 30 जून, 2015 तक निम्नलिखित पते पर अग्रेषित किए जाएँ -


प्रभारी सहायक निदेशक
पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध (भाषा)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
2ए, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली. 110011.
email:- adptracharchti-dol@nic.in

सभी कार्यालयों/विभागों के विभागाध्यक्षों से पुनः अनुरोध है कि सत्र 2015-16 के लिए अपने कार्यालयों से उपर्युक्त भाषा -प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करने का कष्ट करें। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सहयोग सराहनीय होगा।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस विषय में अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी सूचित करें।

संपर्क सूत्र -


कार्यालय का नाम	अधिकारी का नाम	दूरभाष / मोबाइल नंबर
संयुक्त निदेशक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली. 110011.	श्रीमती नीना पुंज,	011-23017203
	सहायक निदेशक	0-9899626516
	श्रीमती तनूजा सचदेव,	011-23017203
	सहायक निदेशक	0-9891308795
	श्री वासुदेव सिंह,	011-23017203
	सहायक निदेशक	0-9013496567


(डॉ. जय प्रकाश कर्दम)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय /विभाग आदि।
2. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यालय, आई.टी.ओ., नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली।
6. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, कोपनिकस मार्ग, नई दिल्ली।
9. केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण, कॉपनिकस मार्ग, नई दिल्ली।
10. प्रशासक, सभी संघ शासित क्षेत्र।
11. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
12. समस्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष (मेलिंग सूची के अनुसार)

13. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), (हिंदी टंकण आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
14. सभी उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ।
15. सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना ।
16. राज्यसभा लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
17. निदेशक (कार्यान्वयन), निदेशक (नीति), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (सेवा), निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन-11, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली । निदेशक (अनुसंधान) से अनुरोध है कि उपर्युक्त को राजभाषा भारती में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें ।
18. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आर-12, नेहरु एन्कलेव, कालकाजी, नई दिल्ली. 110019.
19. केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक-7, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली ।
20. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली ।
21. निदेशक (राजभाषा), डाक भवन, नई दिल्ली ।
22. महामंत्री, केंद्रीय सचिवालय, हिंदी परिषद एक्स वाई 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली ।
23. 50 अतिरिक्त प्रतियाँ ।



(डॉ. जय प्रकाश कर्दम)

निदेशक

भाषा पत्राचार पाठ्यक्रमों से संबंधित विस्तृत जानकारी

इस प्रशिक्षण के अंतर्गत तीन पाठ्यक्रम निर्धारित हैं ।

पात्रता - इन तीनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार है -

क्रम सं.	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है । इसमें कन्नड, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो भाषा भाषी अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । वे सभी अधिकारी कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं ।	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया ओर ओडिया भाषा भाषी अधिकारी कर्मचारी जिन्हें मिडिल स्तर तक का हिंदी का ज्ञान नहीं है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं ।	यह अंतिम पाठ्यक्रम है। इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण अधिकारी तथा वे अधिकारी जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक स्तर से कम है नामित होंगे । उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी व पश्तो भाषा-भाषी अधिकारी /कर्मचारियों के लिए भी प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

टिप्पणी

- जिन अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय में कोई सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिकार्ड सॉर्टर, इलैक्ट्रिशियन, फिटर, गेस्टेटनर ऑपरेटर, डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि) उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण पर्याप्त है ।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, वर्कशाप तथा नर्स प्रयोगशालाओं के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए केवल प्रवीण तक का प्रशिक्षण पर्याप्त है ।
- जिन अधिकारियों कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है ।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 6 जनवरी, 2010 के का.ज्ञा.सं.14034/30/2009-राभा(प्रशि.) के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में आए उन कर्मिकों के लिए जो वर्ग 'ग' श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, को उनकी पात्रतानुसार हिंदी भाषा और हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाए ।

- प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये कार्मिक अग्रिम वैयक्तिक वेतन एवं नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे ।

आयु सीमा

- इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है ।

पाठ्यक्रम	पाठ्य सामग्री	परीक्षा फार्म	परीक्षा शुल्क	आंतरिक मूल्यांकन
<p>प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ तीनों पाठ्यक्रमों का पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है।</p>	<p>प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षार्थियों को अगस्त 2015 से मार्च 2016 तक नियमित रूप से आठ मासिक किस्तों में अध्ययन पाठों और उत्तर-पत्रों (रिस्पांस शीट्स)के रूप में पाठ्य-सामग्री भेजी जाएगी। पाठों का अध्ययन करने के बाद प्रशिक्षार्थियों को उत्तर-पत्रों में दिए गए अभ्यास हल करके उन्हें 15 दिन के अंदर मूल्यांकन के लिए संस्थान के पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध को भेजने होंगे। प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री निःशुल्क भेजी जाती है। प्रायोजक अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उनके द्वारा प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए कर्मचारी अपने हल किए हुए उत्तर-पत्र (रिस्पांस-शीट) नियमित रूप से आंतरिक मूल्यांकन के लिए संस्थान को भिजवाते रहें।</p>	<p>प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा फार्म, पाठ्य सामग्री की पहली किट के साथ ही माह अगस्त में भेजे जाएंगे और मई 2016 में होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षार्थियों द्वारा (हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) विधिवत भरे हुए परीक्षा फार्मों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर, 2015 होगी। पाठ्यक्रम की शेष किटें केवल प्रशिक्षार्थियों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं जिनके परीक्षा फार्म निर्धारित तारीख तक प्राप्त हो जाते हैं।</p>	<p>निगमों, उपक्रमों तथा बैंकों आदि के कर्मचारियों के कार्यालयों द्वारा परीक्षा शुल्क का ड्राफ्ट परीक्षा फार्म के साथ ही भेजना होगा। परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के पक्ष में देय होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है। परीक्षा फार्म, परीक्षा शुल्क सहित (देय होने पर) दिनांक 15 नवंबर, 2015 तक इस कार्यालय को भेजे जाएँ। उपक्रमों, निगमों, कंपनियों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए परीक्षा शुल्क संबंधित निगमों, कंपनियों, बैंकों द्वारा निम्नलिखित दर से देय होगा।</p> <p>प्रबोध-100/- रु. प्रति प्रशिक्षार्थी प्रवीण-100/- रु. प्रति प्रशिक्षार्थी प्राज्ञ-100/- रु. प्रति प्रशिक्षार्थी</p>	<p>क. आंतरिक मूल्यांकन के लिए 100 अंक होंगे। प्रशिक्षार्थी 15 दिन के अंदर उत्तर-पत्र हल करके मूल्यांकन के लिए इस संस्थान को भेजेंगे, जिनके आधार पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा।</p> <p>ख. आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्त अंकों को प्रशिक्षार्थियों द्वारा लिखित प्रश्न-पत्रों के अंकों में नहीं जोड़ा जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन में जिन प्रशिक्षार्थियों के अंक 40 अंक से कम होंगे उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा भले ही वह लिखित परीक्षा में पास हों।</p>

टिप्पणी -

- प्रायोजक अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया जाता है कि पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले कर्मचारी परीक्षा में अवश्य सम्मिलित हों। यह देखा गया है कि इन पाठ्यक्रमों के लिए बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षार्थी पंजीकरण करा लेते हैं, लेकिन वे नियमित रूप से अपने उत्तर पत्र नहीं भेजते अथवा परीक्षा में नहीं बैठते। इससे सरकारी धन, समय और श्रम का अपव्यय होता है। अतः यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जो प्रशिक्षार्थी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लें, परीक्षा में अवश्य सम्मिलित हों।
- 15 मई, 2016 के बाद भेजे गए उत्तर पत्रों को स्वीकृत या मूल्यांकित नहीं किया जाएगा।
- जो प्रशिक्षार्थी मई, 2016 की परीक्षा में नहीं बैठ पाते या फेल हो जाते हैं, वे हिंदी शिक्षण योजना की उसी वर्ष आयोजित की जाने वाली नवंबर या अगले वर्ष की मई परीक्षा में दोबारा बैठ सकते हैं, किंतु उस स्थिति में उन्हें प्राइवेट परीक्षार्थी माना जाएगा तथा उन्हें परीक्षा समाप्त होने के बाद अपने आंतरिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा भी देनी होगी। उनके द्वारा पहले हल किए गए उत्तर-पत्रों में प्राप्त अंकों को उनके आंतरिक मूल्यांकन के लिए नहीं माना जाएगा।

व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम -

- पाठ की विषय वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से न पढ़ाए जाने के कारण जो कमी रह जाती है उसे दूर करने के लिए विभिन्न स्थानों पर वर्ष में दो बार, एक-एक सप्ताह की अवधि के व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम उन केंद्रों, नगरों विशेष में आयोजित किए जाते हैं, जिन नगरों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षार्थी उपलब्ध होते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान कक्षा में व्याख्यानों की व्यवस्था की जाती है, जिनमें पत्राचार द्वारा भेजे गए पाठों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षार्थियों की समस्याओं और कठिनाइयों को व्यक्तिगत रूप से सुनकर उनका निराकरण किया जाता है और मार्गदर्शन दिया जाता है।
- इन कार्यक्रमों की तिथियों और स्थान की सूचना भाषा पत्राचार स्कंध एवं क्षेत्रीय उप निदेशकों द्वारा समय-समय पर दी जाती है। प्रबोध एवं प्रवीण के लिए दो-दो दिन तथा प्राज्ञ के लिए एक दिन का संपर्क कार्यक्रम रखा जाता है।
- व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम में भाग लेने वाले कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के अधीन होने वाली परीक्षा में बैठने वाले कर्मचारियों के समान इयूटी पर तैनात माना जाता है। अतः उनके यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
(भाषा पत्राचार स्कंध)
आवेदन पत्र

1.	पाठ्यक्रम का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
3.	पिता/पति का नाम	
4.	आवेदक का पदनाम	
5.	कार्यालय का पूरा नाम व पता (जिला/राज्य और पिन कोड सहित)	
6.	आवेदक का ई-मेल आई.डी. मोबाइल नं.	
7.	राष्ट्रीयता	
8.	जन्मतिथि	
9.	मातृभाषा	
10.	शैक्षिक योग्यता	
11.	किस स्तर/कक्षा तक हिंदी पढ़ी है	
12.	कार्यालय के नियंत्रक अधिकारी का नाम, पदनाम और कार्यालय का पूरा पता	
13.	दूरभाष सं.	
14.	ई-मेल, आई.डी.	
15.	फैक्स	
16.	मोबाइल नंबर	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नियंत्रक अधिकारी का प्रमाण पत्र
(कृपया प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर करने से पहले पात्रता की शर्तों का
अनुपालन सुनिश्चित कर लें।)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी को जो
..... में के पद पर कार्यरत हैं, प्रशिक्षण का पात्र पाए जाने पर
वर्ष के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित / पत्राचार पाठ्यक्रमों के
..... पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम तथा पदनाम
कार्यालय का पता तथा फोन नंबर
कार्यालय की मुहर के साथ

स्थान-..... ई-मेल फैक्स सं.....
दिनांक-/...../..... मोबाइल नं.-.....